फैक्स/अतिआवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

वी0एन0लहरी मार्ग लखनऊ।

परिपंत्र संख्या-डीजी- 69 /2014 दिनांक:लखनऊ:नवम्वर ०६ ,2014

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

विषय-सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या-52588/2014 श्रीमती रजीना एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित न किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त रिट याचिका का संदर्भ ग्रहण करे, जिसमें जनपद बस्ती के थाना परशुरामपुर में भा0द0वि0 की धारा 363/366 एवं 3/4 पास्को एक्ट के एक प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित न किये जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याची के शपथ पत्र जिसमें उसने अंकित किया है कि उसकी पुत्री का अपहरण हो जाने के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने द्वारा एवं वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करने के बाद भी अंकित नहीं की गयी है के संदर्भ में यह टिप्पणी की गयी है । याची द्वारा इस घटना के सम्बन्ध में अन्ततोगत्वा धारा 156(3) के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिस पर मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये एवं तदोपरान्त भी अत्यन्त विलम्ब से ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी ।

2- पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर परिपत्र एवं कई निर्देश निर्गत किये गये है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में संज्ञेय अपराधों में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने के बावत जो दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है, उनके सम्बन्ध में आप सभी को यह निर्देशित किया गया था कि मा0 उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों की जानकारी अपराध गोष्ठी तथा कार्यशाला का आयोजन करके अपने अधीनस्थों को दें तथा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें ।

3- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में संज्ञेय अपराधों के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये है जिन्हें पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के पत्र संख्या-डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-517/2013 दिनाँक 30-12-2013 के द्वारा आप सभी को अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्गत किया गया था तथा यह भी निर्देशित किया गया था कि आप सभी उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों की जानकारी अपराध गोष्ठी तथा कार्यशाला का आयोजन करके अपने अधीनस्थों को देना सुनिश्चित करेंगे तथा इसका अनुश्रवण भी करायेंगे ।

4- यह अत्यन्त खेद का विषय है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये जाने एवं इस मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों के उपरान्त भी संज्ञेय अपराधों एवं महिलाओं तथा बच्चों के साथ घटित अपराधों में स्थानीय पुलिस एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा त्वरित रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर कार्यवाही नही करायी जा रही है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166(ए) के अन्तर्गत बलात्कार जैसे संज्ञेय अपराधों में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित न करना दण्डनीय है ।

5- अपेक्षा की जाती है कि ऐसे सभी प्रकरणों के स्थानीय थानों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने की कार्यवाही तुरन्त की जाये ।

6- आपको यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि संज्ञेय अपराधों में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित न करने का भविष्य में यदि कोई भी दृष्टिान्त संज्ञान में आता है तो दोषी पुलिस कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

06/11/14

(ए0एल0 बनर्जी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए नियमित अनुश्रवण करायें ।

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या /पीएसएएजी दिनाँक 5-11-2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।